कार्यालय, राज्य शिक्षा केन्द्र, बी विंग, पुस्तक भवन, भोपाल

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/2012/ 945 **भोपाल, दिनांक 25.1.12**

प्रति,

1. जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिले मध्यप्रदेश।

2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग,
समस्त जिले, मध्यप्रदेश।

3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त, मध्यप्रदेश।

4. जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।

विषय– कक्षा–1 से 8 वार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम वर्ष 2011–12

वर्ष 2011–12 की प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) तथा पूर्व–माध्यमिक (कक्षा 6 से 8) के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु वार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किए जा रहे हैं।

2. कृपया मूल्यांकन कार्यक्रमों को शाला के बाहर नोटिस बोर्ड पर विद्यार्थियों के सूचनार्थ ऐसे स्थान पर चस्पा करने की व्यवस्था करें, जहां से सुविधापूर्वक देखा जा सके। कक्षा अध्यापक द्वारा शाला के विद्यार्थियों को उनसे संबंधित मूल्यांकन विषय, प्रश्नपत्र, दिनांक, दिवस और समय, अच्छी तरह अंकित करवा दिया जाए।

3. आवश्यकता पड़ने पर दो पाली की प्राथमिक शालाओं में कक्षा–1 से 4 की कक्षाओं का वार्षिक मूल्यांकन (लिखित) दोपहर सुबह 8:30 से 11 बजे के स्थान पर दोपहर 1 से 3:30 बजे के बीच सम्पन्न कराया जा सकता है। इसके लिए संबंधित संकुल प्राचार्य (डीडीओ) से अनुमोदन कराने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. प्रत्येक विद्यार्थी को उसके मूल्यांकन का पूर्ण कार्यक्रम– तिथि एवं समय ज्ञात हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्मरण रहे कि नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों का मूल्यांकन एक ही तिथि, दिवस एवं समय में आयोजित हो रहा है। वार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम राज्य शिक्षा केन्द्र की वेबसाइट एवं एजुकेशन वेबपोर्टल पर भी देखा जा सकता है।

5. निःशक्त विद्यार्थियों को मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय/लेखक अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाए। कक्षा–1 से 8 का मौखिक मूल्यांकन निर्धारित मूल्यांकन तिथि/तिथियों में ही किसी भी दिन शाला समय में आयोजित किया जा सकेगा, लेकिन लिखित मूल्यांकन निर्धारित तिथि व समय में ही आयोजित किया जाए।

6. **कक्षा–1 से 4 व 6, 7** की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षाफल व सांख्यिकी निर्माण शाला स्तर पर करके **दिनांक 31 मार्च, 2012 तक वार्षिक परिणाम घोषित किया जाए।** इसी दिन प्रगति पत्रक का वितरण भी किया जाए।

7. रा.शि.के. की मूल्यांकन निर्देशिका 2011–12 के अनुसार **कक्षा–5 व 8** की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन, निर्धारित मूल्यांकन केन्द्रों पर किया जाए। उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के तुरन्त बाद मूल्यांकनकर्ता द्वारा विषयवार प्राप्तांक सूची (अंकस्लिप) दो प्रतियों में तैयार करके संकुल प्राचार्य से अनुमोदित करवाकर एक प्रति संबंधित शाला को सौंपी जाए तथा एक प्रति संकुल केन्द्र पर सुरक्षित रखी जाए। संकुल प्राचार्य से अनुमोदित इस प्राप्तांक सूची (अंकस्लिप) के आधार पर वार्षिक परिणाम शाला स्तर पर तैयार किया जाए। परीक्षाफल व सांख्यिकी निर्माण शाला स्तर पर करके **दिनांक 31 मार्च, 2012 तक वार्षिक परिणाम घोषित किया जाए।** इसी दिन प्रगति पत्रक का वितरण भी किया जाए।

8. रा.शि.के. की मूल्यांकन निर्देशिका 2011–12 के अनुसार शालावार एवं कक्षावार वार्षिक परिणाम की जानकारी **परिशिष्ट–8 (अ/ब)** पर संलग्न प्रारूप में प्रत्येक शाला से प्राप्त की जाए। वार्षिक परिणाम मासिक, अर्द्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन तथा सह–शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत–सामाजिक गुणों के परिणाम को जोड़कर तैयार किया जाए। हर स्थिति में शालावार जानकारियां 05 अप्रैल, 2012 तक जनशिक्षक द्वारा प्राप्त की जाएं तथा 06 अप्रैल, 2012 तक बी.आर.सी.सी. को उपलब्ध करा दी जाए। **बी.आर.सी.सी. द्वारा शालावार प्रविष्टि 15 अप्रैल, 2012 तक अनिवार्यतः पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।**

9. कक्षा–5 व 8 के रिजल्ट का ग्रेडवार जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा मूल्यांकन केन्द्रों से मेन्युअली संकलित कर संलग्न प्रारूप में राज्य शिक्षा केन्द्र को अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए।

10. कक्षा–1 से 8 का रिजल्ट घोषित होने के बाद मूल्यांकन निर्देश 2011–12 के बिन्दु क्र.12.10, 12.11, 12.12 के अनुसार कार्रवाई की जाए। कक्षा–8 पूर्ण करने वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत **'पूर्णता प्रमाण पत्र'** निर्धारित प्रारूप में शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जाए।

संलग्नः उपर्युक्तानुसार।

(अशोक वर्णवाल)
आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ.क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/2012/ 946 **भोपाल, दिनांक 25.1.12**

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, भोपाल।
5. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
6. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल मध्यप्रदेश।
7. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
8. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल।
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. कलेक्टर, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
12. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
15. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल, भोपाल।
16. सचिव, मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड, भोपाल।
17. सचिव, मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड, भोपाल।
18. समस्त प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
19. समस्त प्राचार्य, संकुल केन्द्र (हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी स्कूल), मध्यप्रदेश।
20. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
21. समन्वयक, आई.ई.सी. कक्ष, राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने व समस्त शालाओं को एस.एम.एस. करने हेतु एवं पोर्टल पर वर्ष 2012 के रिजल्ट एण्ट्री हेतु मॉड्यूल एवं रिपोर्ट बनाने की आवश्यक कार्रवाई हेतु।

उक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

अशोक

आयुक्त,
राज्य शिक्षा केन्द्र

राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल

वार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम (TIME TABLE) वर्ष 2012

नियमित / स्वाध्यायी

कक्षा 1 से 4				**समयः सुबह 8:30 से 11:00 बजे तक**			
कक्षा ↓	**01.03.12**	**02.03.12**	**03.03.12**	**05.03.12**	**06.03.12**	**07.03.12**	**10.03.12**
दिन →	**गुरुवार**	**शुक्रवार**	**शनिवार**	**सोमवार**	**मंगलवार**	**बुधवार**	**शनिवार**
1	**मौ.+लि.** अतिरिक्त विषय– सामान्य उर्दू / मराठी आदि	**मौ.+लि.** सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	**मौ.+लि.** गणित / संगीत दृष्टिबाधितों हेतु	**मौ.+लि.** द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी / अन्य	**मौ.+लि.** प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि	–	–
2	**मौ.+लि.** अतिरिक्त विषय– सामान्य उर्दू / मराठी आदि	**मौ.+लि.** सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	**मौ.+लि.** प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि	**मौ.+लि.** गणित / संगीत दृष्टिबाधितों हेतु	**मौ.+लि.** द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी / अन्य	–	–
3	**मौ.+लि.** अतिरिक्त विषय– सामान्य उर्दू / मराठी आदि	**मौ.+लि.** सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	**मौ.+लि.** प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि	**मौ.+लि.** द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी	**मौ.+लि.** गणित / संगीत दृष्टिबाधितों हेतु	**मौ.+लि.** पर्यावरण अध्ययन	–
4	**मौ.+लि.** अतिरिक्त विषय– सामान्य उर्दू / मराठी आदि	**मौ.+लि.** सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	**मौ.+लि.** द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी / अन्य	**मौ.+लि.** पर्यावरण अध्ययन	**मौ.+लि.** प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि	**मौ.+लि.** गणित / संगीत दृष्टिबाधितों हेतु	–

कक्षा 6 व 7				**समयः सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक**			
कक्षा ↓	**01.03.12**	**02.03.12**	**03.03.12**	**05.03.12**	**06.03.12**	**07.03.12**	**10.03.12**
दिन →	**गुरुवार**	**शुक्रवार**	**शनिवार**	**सोमवार**	**मंगलवार**	**बुधवार**	**शनिवार**
6	**मौ.+लि.** द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी / अन्य	**मौ.+लि.** विज्ञान	**मौ.+लि.** गणित / संगीत दृष्टिबाधितों हेतु	**मौ.+लि.** सामाजिक विज्ञान	**मौ.+लि.** प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / मराठी (सहायक वाचन सहित)	**मौ.+लि.** तृतीय भाषा– सामान्य संस्कृत / उर्दू / पंजाबी / मलयालम आदि भाषाएं / चित्रकला मूक–बधिरों हेतु	**मौ.+लि.** सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)
7	**मौ.+लि.** प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / मराठी (सहायक वाचन	**मौ.+लि.** सामाजिक विज्ञान	**मौ.+लि.** विज्ञान	**मौ.+लि.** द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी / अन्य	**मौ.+लि.** तृतीय भाषा– सामान्य संस्कृत / उर्दू / पंजाबी / मलयालम आदि भाषाएं / चित्रकला मूक–बधिरों हेतु	**मौ.+लि.** गणित / संगीत दृष्टिबाधितों हेतु	**मौ.+लि.** सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)

कक्षा 5 व 8				**समय कक्षा–5: दोपहर 1 से 3:30 बजे तक कक्षा–8: दोपहर 1 से 4 बजे तक**			
कक्षा ↓	**01.03.12**	**02.03.12**	**03.03.12**	**05.03.12**	**06.03.12**	**07.03.12**	**10.03.12**
दिन →	**गुरुवार**	**शुक्रवार**	**शनिवार**	**सोमवार**	**मंगलवार**	**बुधवार**	**शनिवार**
5	**मौ.+लि.** अतिरिक्त विषय– सामान्य उर्दू / मराठी आदि	**मौ.+लि.** सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	**मौ.+लि.** गणित / संगीत दृष्टिबाधितों हेतु	**मौ.+लि.** प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि	**मौ.+लि.** पर्यावरण अध्ययन	**मौ.+लि.** द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी / अन्य	–
8	**मौ.+लि.** द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी / अन्य	**मौ.+लि.** गणित / संगीत दृष्टिबाधितों हेतु	**मौ.+लि.** प्रथम भाषा– विशिष्ट हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / मराठी (सहायक वाचन सहित)	**मौ.+लि.** सामाजिक विज्ञान	**मौ.+लि.** तृतीय भाषा– सामान्य संस्कृत / उर्दू / पंजाबी / मलयालम आदि भाषाएं / चित्रकला मूक–बधिरों हेतु	**मौ.+लि.** विज्ञान	**मौ.+लि.** सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी / उर्दू / मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)

नोट– निःशक्त विद्यार्थियों को मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय / लेखक अनिवार्यतः प्रदान किया जाए। मौखिक मूल्यांकन सुविधानुसार शाला समय में आयोजित किया जा सकेगा।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

शासकीय शालाओं की जानकारी– वार्षिक परिणाम सांख्यिकी
(कक्षा–5 व 8) वर्ष 2011–12

जिले का नाम–...

नोट– *नीचे दिए प्रपत्र में वास्तविक विद्यार्थी संख्या अंकित करें।*

कक्षा	विवरण	नामांकन	मूल्यांकन में सम्मिलित	ए ग्रेड (75 से 100प्रति.)	बी ग्रेड (60 से 75प्रति. से कम)	सी ग्रेड (45 से 60प्रति. से कम)	डी ग्रेड (33 से 45प्रति. से कम)
5	बालक						
	बालिका						
	कुल						
8	बालक						
	बालिका						
	कुल						

हस्ताक्षर एवं सील

जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास